अपील /11/2020 **न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर**

विनय कुमार पुत्र श्री खेमचंद जाति वैश्य निवासी कस्वा नदबई तहसील नदवई
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील नदबई

...... रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार नदबई दिनांक 27.02.2020 उनमानी राज्य सरकार बनाम विनय कुमार क्रमांक राजस्व/20/1455 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट बावत खसरा नम्बर 31 रकवा 51 ऐयर में से 7 ऐयर पर बाके कासंगज नदबई

उपस्थित :–

1–श्री हनुमानप्रसाद गोयल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 14.08.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 27.02.2020 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नायव तहसीलदार नदबई ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 31/0.51 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.07 हे0 रकवा पर अतिक्रमी अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने एंव लगान की 50 गुणा पेनल्टी राशि 126/– रुपये कायम किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार नदबई से प्राप्त तहत पत्रावली मिसिल नत्थीबद्ध की गई। तहसीलदार नदबई से मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नदबई से प्राप्त मौका रिपोर्ट/रिकार्ड की रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि नायव तहसीलदार नदबई का अपीलाधीन आदेश विस्तृत

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आदेश नहीं है। अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 31 के रकवा 0.07 ऐयर पर गलत रुप से अतिक्रमी माना है। विवादित आराजी खसरा नम्बर अपीलान्ट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 32 एवं खसरा नम्बर 30 के रकवे के पास खसरा नम्बर 31 स्थित है जिसमें मकानात बने हुये हैं। आराजी खसरा नम्बर 28 में पक्की सड़क है जो 30 मीटर चौडी है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 31 में से 07 ऐयर रकबा अतिक्रमण नहीं किया है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि तहत न्यायालय द्वारा जारी अपीलान्ट पर प्रोपर तामील नहीं हुये हैं। अतिक्रमण के बाबत तहत न्यायालय ने मोके पर कोई पैमाईश नहीं की और नाहीं कोई साक्ष्य बयान लिये हैं। अपीलान्ट को उसके खातेदारी रकवे से बेदखल नही किया जा सकता है। योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि विवादित आराजी पर माननीय सिविल न्यायालय को आदेश जारी किया हुआ है। स्थगन आदेश के होते हुये बेदखल की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

तहसीलदार नदबई ने अपने कथनों में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 31/0.051 रकवा में से 0.07 ऐयर रकवा पर अपीलान्ट ने पक्की चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। अतिक्रमी अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है, नोटिस पर अपीलान्ट ने रिपोर्ट कर वापिस लोटा दिया है। अपीलान्ट बावजूद सूचना तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। तहसीलदार का कहना है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 31/0.051 गैर मुमकिन रास्ते पर कोई स्थगन नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं तहसीलदार नदबई के कथनों पर गौर किया। तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 ग्रांम खांगरी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 31/0.51 हे0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी/गिर्दावर एवं खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2076 से निर्विवाद है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 31/0.051 रकवा में से 0.07 ऐयर रकवा पर अपीलान्ट ने पक्की चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, नायव तहसीलदार ने नियमों के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये धारा 91 एलआर एक्ट के तहत अतिक्रमी अपीलान्ट को नोटिस जारी किया है। नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट ने "खसरा नम्बर 31 पर कोई अतिक्रमण प्लाट/जमीन इत्यादि नहीं है" कि रिपोर्ट अंकित कर नोटिस को वापिस लोटा दिया है जो तहत पत्रावली में संलग्न है।

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

इस प्रकार अपीलान्ट का यह कहना कि उसे नोटिस नहीं दिया गया है माने जाने योग्य नहीं रहता है। तहसीलदार नदबई से प्राप्त मौका व रिकार्ड रिपोर्ट पत्र क्रमांक / राज0 / 21 / 1071 दिनांक 7.12.21 का अवलोकन किया गया, तहसीलदार नदबई ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है जो इस प्रकार है :—

1—"………राजस्व रिकार्ड में ग्राम कासगंज में स्थित ख0नं0 31 का रकबा 0.51 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक खाता सं0 1 में दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान कोई स्थगन आदेश दर्ज रिकार्ड नहीं है।

2— "……हाल में ग्राम कासगंज ख0नं0 31 पर 1. विनय कुमार पुत्र खेमचन्द वैश्य नदबई द्वारा 0.07 है0 पर पक्का निर्माण (चार दीवारी)कर अतिक्रमण किया हुआ है। एवं 2. रमेशचन्द पुत्र नत्थीलाल ब्रा0 लक्ष्मण मन्दिर भरतपुर द्वारा 40 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। शेष रकवा मौके पर खाली पड़ा हुआ है………।"

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार नदबई से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 31 / 0.51 गैर मुमकिन रास्ता है। जिस पर अपीलान्ट ने पक्की चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है ऐसी भूमियों को ना तो आंबटन किया जा सकता है और नाहीं नियमन, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि :—

L. RS. OF ROOP NARAIN V. STATE OF RAJ. - (186) Revision No. 101/Alwar of 86, decided on 15th June, 1992.

(A) Rajasthan Tenancy Act, Section 16 - Land under gair mumkin Rasta is land held for a public purpose - No khatedari rights can accrue thereon. (Para 7)

(B) Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Rules 4 & 20 - Land under gair mumkin rasta can neither be regularised nor can khatedari rights accru thereon irrespective of the duration of trespass. (Para 7)

पत्रावली में उपलब्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या—01 भरतपुर के आदेश दिनांक 03.10.2023 प्रकरण उनवानी विनय कुमार बनाम राज0सरकार वगै0 दीवानी प्रकरण संख्या 518 / 2023 का अवलोकन किया गया, माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में पारित किया है जो इस प्रकार है —

..........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

"..........अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व2 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ताफैसला मूलवाद प्रार्थी की जायदाद में रंग पीला मार्क ए,बी,सी,डी,ई एफ, जी,एच,आई,जे,के,एल, नक्शा में कोई तोड़फोड़ न करें, रास्ता कायम न करें, प्रार्थी को जायदाद के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें, जबरदस्ती बेदखल न करें व कार्यवाही भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थी के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर 30 रकवा 3 ऐयर एवं आराजी खसरा नंबर 32 रकवा 32 एयर कुल 35 में से 2798 वर्गमीटर बाके कांसगज तहसील नदबई के बाबत् न करे..........।"

माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01 भरतपुर के उक्त निर्णय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 31/0.051 रकवा में से 0.07 ऐयर गैर मुमकिन रास्ता पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। नायव तहसीलदार नदबई ने आराजी खसरा नम्बर 31/0.051 रकवा में से 0.07 ऐयर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो नियमों के तहत है इसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस तहसीलदार नदबई को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.8.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर